I/518766/2024

संख्या-120/2024/269/58-2-2024-300(09)/2023

प्रेषकए

शिवराज कुमार यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्कररण अनुभाग लखनऊ : दिनांक 13 मार्च 2024

विषयरू- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-04-0418-30प्र0 खाद्य प्रसंस्कर्ण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-खा0प्र0/897/लखनऊ/2023-24 दिनांक 12.02.2024 के सन्दर्भ में वित्त विभाग के पुर्नविनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति संख्य-आर0ई0-बजट-1-508/ई-1/दस-2024 दिनांक-29.02.2024 पृष्ठांकन संख्या-223/58-2-2024 दिनांक-01.05.2024 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान-10 लेखाशीर्षक-2401 फसल कृषि कर्म-119 बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-04 फल-0418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत मानक मद 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं का भुगतान, 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय एवं 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय मद में उपलब्ध बचतों के सापेक्ष कुल रू0-56.00 लाख प्रश्नगत योजनान्तर्गत मानक मद 27-सब्सिडी मद में रू0-56.00 लाख के पुनर्विनियोग (रूपये छप्पन लाख मात्र) के माध्यकम से निम्नलिखित मदवार विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। विचलन की स्थिति में इसके लिए निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/मुख्य वित्त नियंत्रक/आहरण वितरण अधिकारी एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

(3) उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहां आवश्यक होगा सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(4) व्यय की गयी धनराशि का औचित्यय/विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि उक्त मद में कोई धनराशि बचती है तो उसे शासन को यथासमय समर्पित किया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि को पुर्नविनियोग के निर्धारित प्रपत्र सं0 बी0एम0-9 पर संलग्नक के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से व्यवस्थित की गयी है।

(6) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजनान्तर्गत निर्गत गाइडलाइन एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

.....2/-

(7) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक/वित्त नियंत्रक निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्कारण विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) योजनान्तर्गत जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगा।

(9) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।

(10) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(11) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक/वित्त नियंत्रक निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का होगा।

(12) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-02/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 56,00,000 (रूपये छप्पन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-010 लेखाशीर्षक 2401001190418 उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 मानक मद 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

Digitally Signed by शिवराज कुमार यादव
Date: 11-03-2024 17:32:11
Reason: Approved

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-120/2024/269(1)/58-2-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितरू-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को तीन प्रतियों में।
5- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
6- वित्त नियन्त्रक/आहरण वितरण अधिकारी निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उ0प्र0 लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।